



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53851

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 6163/2026

राजीव कोहलीआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यप्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : फखरुल इस्लाम जाफरी, सदरुल इस्लाम जाफरी, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता : अब्दुल मजीद, जी.ए.

न्यायालय संख्या- 66

(121 में से क्रमांक 29)

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची संशोधित की गई है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.आई. जाफरी की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एन.आई. जाफरी और मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता श्री अब्दुल मजीद की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री इमरान मबूद खान और राज्य के विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री सुनील कुमार की सहायता से विद्वान ए.जी.ए. श्री संजीव सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. आवेदक विचारण के लंबित रहने के दौरान मुकदमा अपराध संख्या 822 वर्ष 2025, धारा 80, 85, 115(2) बी.एन.एस. तथा धारा 3/4 डी.पी. अधिनियम, पुलिस स्टेशन हाईवे, जिला मथुरा में जमानत की मांग करता है।

अभियोजन का वृत्तांत:

4. आवेदक की शादी मृतक के साथ 02.02.2025 को हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी। इसके बाद, आवेदक और परिवार के दूसरे सदस्यों ने 10 लाख रुपये के अतिरिक्त दहेज की मांग के लिए उसके साथ क्रूरता की और इस बीच, उसका गर्भावस्था खत्म करवाकर उसे घर से निकाल दिया।

5. रिश्तेदारों और दूसरे लोगों के दखल के बाद दोनों पक्षों के बीच मामला सुलझ गया और मृतका आवेदक के घर में रहने लगी; लेकिन, आवेदक की क्रूरता के कारण 10.09.2025 को उसे आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा।

आवेदक की दलीलें:

6. आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

7. प्राथमिकी में विलंब हुआ है, क्योंकि उसमें अपराध का समय अंकित नहीं है। इसे जांच रिपोर्ट के बाद दर्ज किया गया है।

8. मौत का कारण मौत से पहले फांसी लगाने की वजह से दम घुटना है; इसलिए, मृतका ने आत्महत्या की, क्योंकि उसका विवाहेतर संबंध था और आवेदक ने उसे इसे जारी रखने से मना किया था, और डर और पछतावे के कारण उसने आत्महत्या कर ली।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य में प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा का कर्मचारी है, और उसके द्वारा मृतक को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का कोई कारण नहीं था।

10. आवेदक का मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा कब्ज़े में ले लिया गया है; इस प्रकार, वह अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सका। उक्त मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप को अभियोजन पक्ष ने छिपा दिया है।

11. आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 17.09.2025 से जेल में है। वह मुकदमे में सहयोग करने और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करने का वचन देता है।

सूचना देने वाले/राज्य की ओर से तर्क:

12. मृतका की शादी के सात महीने के भीतर मृत्यु हो गई, और इस बीच दहेज की मांग पर पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गए। मृतका द्वारा 29.08.2025 को पुलिस स्टेशन कोतवाली, हाथरस में एक आवेदन दायर किया गया था, और आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया था; इस प्रकार, दहेज की मांग स्थापित होती है और आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।

निष्कर्ष:

13. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों, और इस बात पर विचार करते हुए कि मृतक की मृत्यु आवेदक के घर की परिधि में हुई, वह भी उसकी शादी के लगभग सात महीने की अवधि के भीतर, मुझे यह आवेदक को जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं लगता है। जमानत अर्जी गुण-दोष से रहित पाई जाती है और तदनुसार, **खारिज** की जाती है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



14. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित पूर्वोक्त मामले का निर्णय जल्द से जल्द किया जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के हाल के निर्णयों में **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) SCC 220 और हुसैन एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया; (2017) 5 SCC 702** के मामलों में निर्धारित सिद्धांत के अनुसार है, यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई टिप्पणियाँ केवल ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

17 मार्च 2026

(रवि कांत)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”